


192



समक्ष न्यायालय म.प्र. भू राजस्व मंडल, ग्वालियर(म.प्र.)

निम्न-423-I-16

वि.अ.क. /2016

याचिकाकर्तागण:- खेमचंद लोधी आत्मज हरप्रसाद लोधी (फौत)

अपीलार्थीगण



अपीलार्थीगण  
27/1/16

1. हरि बाई पति स्व. खेमचंद लोधी उम्र-58 वर्ष
2. रज्जो बाई आत्मजा खेमचंद लोधी उम्र-22 वर्ष
3. रामकुमारी पति रूप सिंह लोधी उम्र- 20 वर्ष
4. दुर्गा बाई पति कमलेश लोधी उम्र-26 वर्ष
5. गीता बाई पति बाबूलाल लोधी उम्र-30 वर्ष
6. ओमप्रकाश आत्मज स्व. खेमचंद लोधी उम्र-19 वर्ष  
निवासी घाट पिपरिया, तहसील व जिला-नरसिंहपुर

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:-

1. मुन्नी बाई लोधी पति स्व. उजयारसिंह लोधी  
उम्र-53 वर्ष
2. दशरथ लोधी उम्र- 16 वर्ष
3. दुर्जन लोधी उम्र- 13 वर्ष
- क. 2 एवं 3 वली माँ मुन्नी बाई पति उजयार सिंह
4. सावित्री लोधी उम्र-25 वर्ष
5. जीजी बाई लोधी उम्र-19 वर्ष
6. त्रिवेणी बाई लोधी उम्र-18 वर्ष
- क. 4, 5, 6 आत्मजा स्व. श्री उजयार सिंह  
सभी निवासी- घाट पिपरिया, तहसील व  
जिला-नरसिंहपुर



8 JAN 2016


अपील/रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थीगण उपरोक्त अपील/रिवीजन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 30.09.15 रा.अ.क. 78अ 27-2013-2014 पक्षकार मुन्नी बाई व अन्य विरुद्ध खेमचंद में पारित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 423-एक/2016 जिला - नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाओं के हस्ताक्षर
25.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सी० एल० सतनामी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 78/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2015 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अतिरिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/4/19 कलेक्टर जिला नरसिंहपुर</p>	 सदस्य